रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99

REGISTERED NO. DL—33001/99

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
01/19/3/99
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1999 (फाल्गुन 1, 1920)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1999 (PHALGUNA 1, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुम्बई, दिनांक

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में दिसम्बर 1998 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई मानि गई प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है जिसके सम्बन्ध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गई है और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय ऋण प्रभाग मुम्बई को सूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई है और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है :—

सूची "क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु/ग्राम	किसके नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किया जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिये दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
		10% राहत बांड 1995 (कानपुर सर्किल)			
के० एन० 000570	10,00,000	रितु मेहरोत्रा एवं उर्मिला मेहरोत्रा एक अथवा उत्तरजीवी	संचयी	रितु मेहरोत्रा एवं उर्मिला मेहरोत्रा	आई० आर० 721/67 दिनांक 11 नवम्बर 1998 (फाइल सं० 09.12.268)
		3% परिवर्तन ऋण 1946 (कलकत्ता सर्किल)			
सी० ए० 302390	4000/- रु०	कुल सचिव, उत्कल विश्वविद्यालय	44 वां अर्ध वर्ष तक का ब्याज अदा किया गया है।	कुल सचिव, सम्बलपुर विश्वविद्यालय	फाइल सं० आई 2530 दिनांक 19 नवम्बर 1998 का महाप्रबन्धक का आदेश देखें दिनांक 19 नवम्बर 1998 का सी० आई सं० एल० सी० ओ०/66
		5 3/4% ऋण 2003 (मुम्बई सर्किल)			
बी०वाय० 009336	15000/-	बैंक आफ बड़ौदा	12.5.1984	न्यासी, वाडर लि० कर्मचारी भविष्य निधि	मामला सं० 20-04-1987 महाप्रबन्धक के दि० 02-1-99 के आदेश तथा के० का० डायरी सं० 586, दिनांक 04-1-1999
बी वाय 009341	05,000/-	वही	वही	वही	वही
बी० वाय 015132	01,000/-	वही	वही	वही	वही
बी वाय 015133	01,000/-	वही	वही	वही	वही
बी वाय 015134	01'000/-	वही	वही	वही	वही
बी वाय 015245	10,000/-	वही	वही	वही	वही
बी वाय 015245	10,000/-	वही	वही	वही	वही

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिये दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
			स्वर्ण बांड 1998 (मुम्बई सर्किल)		
बी वाई/आर सी ए/ 001424	513 ग्राम	श्री भगवती प्रसाव सिसोतिया	09-06-1993 (अवधि समाप्त पर देय)	श्री भगवती प्रसाद सिसोतिया	मामला सं० 20.04.20.91 महाप्रबन्धक के दिनांक 11 नवम्बर, 1998 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 435 दिनांक 12-11-98
बी वाई/ आर सी ए 2002322	523 ग्राम	राहुल सिसोतिया	वही	राहुल सिसोतिया (माइनर)	वही

1	2	3	4	5	6
		9% राहत बांड 1987 (नई दिल्ली सर्कल)			
डी एच–04424	3,50,000/–	सुश्री हक्सर एवम् विनीत हक्सर	कोई नही	सुश्री हक्सर एवम् विनीत हक्सर	पी० डी० ओ० डी० टी०/एल० एम 2/98 दिनांक 14–10–1998
डी० एच 04364	2,50,000/–	विनीत हक्सर एवम् सुश्री हक्सर	वही	विनीत हक्सर एवम् सुश्री हक्सर	वही
		स्वर्ण बांड (बम्बई सर्कल)			
बी वाई/एस एल ए/ 000151 तक 000157	500 ग्राम स्वर्ण प्रत्येक	श्री अविनाश चन्दर एवम् सुश्री नीलिमा गुप्ता	20–5–1993 (अवधि समाप्ति पर देय)	श्री अविनाश चन्दर एवम् सुश्री नीलिमा गुप्ता	मामला सं० 20–04–2085 महाप्रबन्धक के दिनांक 06–10–1998 के आदेश तथा उसी तारीख की केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं 3209
बी वाई/एस एल ए/ 000158	985 ग्राम स्वर्ण	वही	वही	वही	वही
		10% राहत बांड 1993 (एन सी) (चेन्नई सर्कल)			
एम एस–000070	25,000/–	सी० एन० कमलाक्षी और के० भुवनेशबाबू	4–6–93	के० भुवनेशबाबू	जी० एम० डायरी स० 14 दिनांक 23–10–1998
		9% राहत बांड 1993 (एन० सी०) (चेन्नई सर्कल)			
एम एस–000174	50,000/–	सी० एन० कमलाक्षी और के० भुवनेशबाबू	10–10–94	के० भुवनेशबाबू	वही
एम एस–000191	45,000/–	वही	27–10–94	वही	वही
		10% राहत बांड 1995 (एन० सी०)			
एम एस–000319	30,000/–	सी० एन कमलाक्षी और के० भुवनेशबाबू	25–07–96	के० भुवनेशबाबू	जी० एम० डायरी स० 14, दिनांक 28–10–1998
एम एस–000293	40,000/–	वही	20–06–96	वही	वही
		10% राहत बांड 6993 (भायखला सर्कल)			
बी सी–000873	5,00,000/–	ईना फर्नान्डीस वेलोज (मृत) हैवर डिसा	19–08.93	हैवर डिसा	6.25.25/2.11.98
		9% राहत बांड पत्र, 1993 (भायखला सर्कल)			
बी सी–001300 से 001306 तक	7,00,000/– (7×1,00,000)	नटवर मूलचन्द पारेख (मृत) जयन्ती नटवर पारेख	8–11–94	जयन्ती नटवर पारेख	6.25.22/11.11.98
बी सी–001307 से 001321 तक	15,00,000/– (15×1,00,000)	जयन्ती नटवर पारेख नटवर मूलचन्द पारेख	8.1149.	जयन्ती नटवर पारेख	वही

एन० ए० आहाले
कृते मुख्य महाप्रबन्धक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 21 जनवरी 1999

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-2/36010—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट प्राप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० दि सूरत डिस्ट्रिक्ट को० आप० स्पिनिंग मिल्स लि० वर्छा रोड़, सूरत-395006	जीजे/4148	2/1959/डी एल आई/एक्जम/89/पी० टी०-1, दिनांक 6-4-93	30-6-94	1-7-94 से 30-6-97 1-7-97 से 30-6-2000	2/3864/91/ डी० एल० आई०
2	मै० गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कं० लि०, फाईबर यूनिट एट एण्ड पी० ओ० खर्च तल, हसंट जिला भरूच	जीजे/5238-बी	-वही- दिनांक 31-5-93	31-5-96	1-6-96 से 31-5-99	2/5326/93/ डी० एल० आई०
3.	मै० दि सूरत डिस्ट्रिक्ट को-आप० बैंक लि०, रजि० आफिस, जे० डी० रोड़, अथवा गेट, सूरत	जीजे/4672	-वही- दिनांक 6-4-93	26-8-95	27-8-95 से 26-8-98	2/211/79/ डी० एल० आई०
4.	मै० प्रफैक्ट कलरेन्टस एण्ड प्लास्टिक्स (प्रा०) लि०, 85 जी आई डी सी इन्डस्ट्रियल एस्टेट, बाधोविया-391760	जीजे/20305	-वही- दिनांक 26-10-97	28-2-98	1-3-98 से 28-2-2001	2/14/95/ डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा

प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापना पहले आ चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-2/36018—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट प्राप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० ए० सी० सी० लि० पी० ओ० ओखला इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड़, नई दिल्ली–20	डी एल/ 127	2/1959/डी एल आई/ एक्जम/89/पीटी–1 दिनांक 10–12–92	26–11–94	27–11–94 से 26–11–97 27–11–97 से 26–11–2000	2/658/80 डी०एल०आई०
2.	मै० रोनक इन्टरनेशनल लि० 13वी मंजिल चिरंजीव टॉवर 43 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–19	डी एल/ 2229	वही दिनांक 27–8–92	3–12–94	4–12–94 से 3–12–97 4–12–97 से 3–12–2000	3/6/97 डी०एल०आई०
3.	मै० चौधरी इन्टरनेशनल प्रा० लि० 303 अंसल भवन, 16, के०जी० मार्ग, नई दिल्ली–110001	डी एल/ 3551	वही दिनांक 27–8–92	31–10–92	1–11–92 से 31–10–95 1–11–95 से 31–10–98	2/4277/92 डी०एल०आई०
4.	मै० हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि०, मधुबन–55 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	डी एल/ 4869	वही दिनांक 11–5–92	28–2–93	1–3–93 से 29–2–96 1–3–96 से 28–2–99	2/727/82 डी०एल०आई०
5.	मै० जुपिटर पब्लिसिटी कं० 108, सूर्या किरण के०जी० मार्ग नई दिल्ली–110001	डी एल/ 8614	वही दिनांक 18–11–89	30–9–90	1–10–90 से 30–9–93 1–10–93 से 30–9–96 1–10–96 से 30–9–99	2/3273/90 डी०एल०आई०
6.	मै० श्री राम फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कीर्ति महल, 19, रजिन्दर प्लेस नई दिल्ली–110008	डी एल/ 5819	वही दिनांक 18–10–92	7–1–95	8–1–95 से 7–1–98 8–1–98 से 7–1–2001	2/778/82/ डी०एल०आई०
7.	मै० सेवा इन्टरप्राइजिस. सी–2/9 कम्यूनिटी सेंटर. अशोक विहार फेस–II दिल्ली–52	डी एल/ 8616	वही दिनांक 14–5–98	30–9–96	1–10–96 से 30–9–99	3/19/97/ डी०एल०आई०

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितियों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी रीति से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. ए. त्रिवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा. का. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-I/36029—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त प्रवेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट-प्रदान कर दी है।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल नं०
1.	मै० टांस केबल लि०, शीश महल कथागंडम, नैनीताल, यू० पी०–263126	यूपी/6559	1–2–90 से 31–1–93 1–2–93 से 31–1–96 1–2–96 से 31–10–97	15(47) डीएलआई/ यूपी/87
2.	मै० दी यू० पी० स्टेट लैदर डेवलपमेंट एण्ड मार्किटिंग कार्प० लि०–16/7 सदर भट्टी कोसिंग आगरा–282003	यू०पी/5929	1–12–80 से 30–11–83 1–2–83 से 31–11–86 1–12–89 से 30–11–89 1–12–89 से 30–11–92 1–12–92 से 30–11–95 1–12–95 से 31–10–97	15/48/डीएलआई/ यूपी/97
3.	मै० प्रकाश इण्डस्ट्रियल लि०, 5 के० एम० स्टोन मुरादाबाद रोड काशीपुर जिला– नैनीताल, यू० पी०	यूपी०/16082	1–1–94 से 31–12–96	15/49/डीएलआई/यू० पी०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए, तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम/निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा में प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-66, दिनांक 27 जनवरी 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/36258—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्रम० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० के० मोहम्मद एण्ड ब्रादर्स पाटोमिटा विजयवाड़ा—520006 (आं० प्र०)	एपी/6969	1—3—93 से 28—2—96 1—3—96 से 28—2—99	1/19/98/डीएलआई
2.	मै० निजाम क्लेव साईकाबाद हैदराबाद—500004	एपी/1950	1—12—92 से 30—11—95 1—12—95 से 30—11—98	1/40/98/डीएलआई
3.	मै० प्रकाश एस० जी० आयरन कास्टिंगस प्रा० लि० प्रकाशनगर इन्कापाडु, विजयवाड़ा—521108	एपी/30195	1—3—98 से 28—2—2001	1/41/98/डीएलआई

1	2	3	4	5
4.	मै० विजय कृष्णा सुपर बाजार (ए यूनिट आफ वी० सी० सी० स्टोर्स लि०), बान्दार मार्ग, विजयवाड़ा	एपी/2625	1–2–90 से 31–1–93 1–2–93 से 31–1–96 1–2–96 से 31–1–99	1/42/98/डीएलआई
5.	मै० नगरजूना इनवर्सटर्स सर्विस लि०, नगरजूना हिल्स, हैदराबाद–500082	एपी/24167	1–5–93 से 30–4–96 1–5–96 से 30–4–99	1/15/98/ऐपी
6.	मै० हिल्टन तम्बाकूस प्रा० लि०, एच–1, सम्राट कम्पलैक्स, सार्डफाबाद, हैदराबाद–4	एपी/एच/18535	1–3–92 से 28–2–95 1–3–95 से 28–2–98 1–3–98 से 28–2–2001	1/43/98/ऐपी

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस के हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./98/भाग-1/36268—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ० नि० आ० फाईल सं०
1.	मै० रोममन्स मैंडीकोनस ई–20, फाऊण्ड्री नगर, आगरा–282006	यूपी/16244	1–1–92 से 31–12–94 1–1–95 से 31–12–97 1–1–98 से 31–12–2000	15/7/डीएलआई, यूपी/98
2.	म० ऑटोमैटिव प्रोडक्ट्स कम्पनी, 73, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, नुनेंह, आगरा–282006	यूपी/4072	1–2–89 से 31–1–92 1–1–92से 31–1–95 1–2–95 से 31–1–98	15/9/डीएलआई/यूपी/96

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि ऐसा कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उसी सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना, पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, तो बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा. का. 2/1959/डी एल.आई./भाग-1/36274—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छोल प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि० आ० की फाईल सं०
1.	मै० प्रेम मोटर्स, आगरा मथुरा बाई पास मार्ग, आगरा–282005	यूपी/16560	1–8–94 से 31–7–97 1–8–97 से 31–7–2000	15(12)98/ डीएलआई
2.	मै० देवयानी फूड्स लि०, 12 वां कि० मी० डिस्टैन्स स्टोन, आगरा–देहली हाईवे आगरा–यू०पी०	यूपी/17727	1–3–95 से 28–2–98	15(11)98/ डीएलआई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्वारण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि उस राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-2/36280—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट प्राप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० इंडियन नावल कैन्टिन सर्विस नवल नगर, कुलाबा, मुम्बई–5 तथा शाखाएं	एम एच/ 11896	2/1959/डी एल आई/ एक्जम/89/पी टी–1, दिनांक 2–4–93	31–5–95	1–6–95 से 31–5–98	2/3999/92/ डी एल आई
2.	मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० इम्पलिमेंटस डीविजन, एम० आई० डी० सी० एरिया, हिंगना मार्ग नागपुर–400016	एम एच/ 13804	वही दिनांक 5–2–98	10–10–97	11–10–97 से 10–10–2000	9/18/डी एल आई/ 97
3.	मै० मेकर्स डवलपमेंट सर्विसज लि० मेकर्स टावर्स, एफ पहली मंजिल, कफो ब्रेज, मुम्बई–5	एम एच/ 24576	वही दिनांक 22–3–93	29–2–96	1–3–96 से 28–2–99	2/3641/91 डी एल आई
4.	मै० दि एसोसिएटिड सिमेंट कं० लि०, सिमेंट हाऊस, 121, एम० के० मार्ग चर्चगेट, मुम्बई–20	एम एच/ 4095	वही दिनांक 3–9–92	24–11–94	25–11–94 से 24–11–97 25–11–97 से 24–11–2000	2/658/82/ डी एल आई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो या उस वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. त्रिवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-2/36289—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संबंधित से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट प्राप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० दि गुजरात टी डिपो कं० लि० किराना एस्टेट प्रगति हाई स्कूल के पास, खोखरा अहमदाबाद–380008	जी जे/2305	2/1959/डी एल आई/एक्जम/89 पी०टी–1, दिनांक 24–2–92	31–12–93	1–1–94 से 31–12–96 1–1–97 से 31–12–99	2/3973/92/डी एल आई
2.	मै० कैडिला कैमिकल्स लि०, 291, जी० आई० डी० सी०, एस्टेट, अंकलेश्वर–393002	जी जे/3993	वही दिनांक 18–1–94	29–2–96	1–3–96 से 28–2–99	2/708/82 डी एल आई
3.	मै० एन० आई० एफ० मकैनिकल वर्क्स, पो० बी० नं० 69, छपरा रोड, नवसारी–396445	जी जे/6122	वही दिनांक 27–1–94	30–11–95	1–12–95 से 30–11–98	2/4507/92/डी एल आई
4.	मै० गिनियान धाम स्कूल, जी० आई० डी० सी० वापी–396195, जिला वलसाद, गुजरात ।	जी जे/12957	वही दिनांक 17–10–92	31–12–94	1–1–95 से 31–12–97 1–1–98 से 31–12–2000	2/2358/89 डी एल आई
5.	मै० गुजरात प्रीपैक लि०, दसवीं मंजिल, नेपच्यून टॉवर, प्रोडक्ट टीविटी रोड, बड़ौदा	जी जे/16077	वही दिनांक 10–6–93	31–12–95	1–1–96 से 31–12–98	2/4027/92 डी एल आई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधि-नियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी.एल आई /एक्ज.म/89/भाग-2/36297 —जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना में तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान विस्तार की गई	छूट प्राप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० फाईल सं०
1.	मै० रायपुर मैन्यु फैक्चरिंग कं० लि० आउट साईड सारंगपुर गेट, अहमदाबाद–380018 (इंडिया)	जी जे/ 294	2/1959 डी एल आई/ एक्जम पी टी–1/3008 दिनांक 17–10–92	31–5–94	1–6–94 से 31–5–97 1–6–97 से 31–5–2000	2/4085/92
2.	मै० टाटा एस एस एल लि० स्टेशन रोड़, नवसारी–396145	जी जे/ 6131	वही दिनांक 2–7–92	31–12–91	1–1–92 से 31–12–94 1–1–95 से 31–12–97 1–1–98 से 31–12–2000	2/ई डीएल आई/ एम आई एस सी/ 97
3.	मै० गुजरात रुरल हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि०, अम्बिका हाउस, बिहाइंड सी० यू० साह कालेज, आश्रम रोड़, अहमदाबाद–380014	जी जे/ 10614	वही दिनांक 20–5–93	31–1–94	1–2–94 से 31–1–97 1–2–97 से 31–1–2000	2/4824/93
4.	मै० अनन्दालय (अनन्दालय एजूकेशन सोसायटी रजि०) एन० डी० डी० बी० कैम्पस, अनन्द–388001 (गुजरात)	जी जे/ 13901	वही दिनांक 31–8–92	31–7–94	1–8–94 से 31–7–97 1–8–97 से 31–7–2000	2/4210/92/ डी एल आई
5.	मै० कलपत्रु पावर ट्रांसमिशन लि० 101, भाग–II जी० आई० डी० सी० एस्टेट, सैक्टर–28, गांधी नगर-382028 (इंडिया)	जी जे/ 15884	वही दिनांक 15–4–93	31–5–95	1–6–95 से 31–5–98	2/4794/92/ डी एल आई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति को 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसमें अन्तर्गता लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाएं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख को भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय नहीं किया जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सालारजंग, म्यूजियम बोर्ड

सालारजंग संग्रहालय के अधिनियम 1962 के नियम 13 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियम को अनुमोदित किया जाता है ।

सेवानिवृत्ति आयु :—13, मण्डल द्वारा कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया है ।

ह०/-अपठनीय
सचिव
सालारजंग म्यूजियम बोर्ड

डा० रंगराजन
चेयरमैन, सालारजंग म्यूजियम बोर्ड

भारतीय भेषजी परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1998

फ० नं० 17-1 98-पी० बी० आई०-12447-678—भारत के राजपत्र संख्या 3 45, भाग-III, खण्ड-4 दिनांक 7-11-98 में पृष्ठ संख्या 3826 पर प्रकाशित भारतीय भेषजी परिषद के 64 वें अधिवेशन में पारित संकल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

शुद्धिपत्र

1. पृष्ठ संख्या 3810, 3811, 3812 और 3813 पर

के स्थान पर	पढ़ें
सं० 64 पी०सी०आई०/1109	प्रस्ताव सं० 64 पी० सी० आई०/1109
सं० 64 पी०सी० आई०/1110	प्रस्ताव सं० 64 पी० सी० आई०/1110
सं० 64 पी० सी० आई०/1111	प्रस्ताव सं० 64 पी० सी० आई०/1111
सं० 64 पी० सी० आई०/1112	प्रस्ताव सं० 64 पी० सी० आई०/1112
सं० 64 पी० सी० आई०/1113	प्रस्ताव सं० 64 पी० सी० आई०/1113
सं० 64 पी० सी० आई०/1114	प्रस्ताव सं० 64 पी० सी० आई०/1114
सं० 64 पी० सी० आई०/1115	प्रस्ताव सं० 64 पी० सी० आई०/1115

2. पृष्ठ संख्या 3820, प्रस्ताव सं० 64 पी० सी० आई०/1134 की ग्यारहवीं पंक्ति में

के स्थान पर	पढ़ें
करले अथवा उक्त परीक्षा या पास कर लें	करलें अथवा उक्त परीक्षा पूरी या पास कर लें

3. पृष्ठ संख्या 3824, प्रस्ताव संख्या 64/पी० सी० आई०/1153 की छठी पंक्ति में

के स्थान पर	पढ़ें
फार्मेसी परीक्षा सभी अनुमोदित	फार्मेसी परीक्षा तभी अनुमोदित

अर्चना मुदगल
सहायक सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
MUMBAI

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946(as amended under the Notification No.F(8)/70-B/52 dated 29thApril, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February1990) the following list for the month onded December, 1999 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these secuties should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office Department of Government and Bank, Accounts,Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" theist of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./ Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and or payment of disc arge value	No. and date of order issued
			10% Relief Bonds 1995 (Kanpur Circle)		
KN. 000570	10,00,000/-	Ritu Mehrotra and Urmila Mehrotra Either or Survivor	Cumulative	Ritu Mehrotra and Urmila Mehrotra	IR. 721/67 (File No. 09-12-268) dated 11-11-1998
			3% Conversion Loan 1946 (Calcutta Circle)		
CA-302390	Rs. 4000/-	Registrar, Utkal University	Interest upto 44th Half-year paid	Registrar Sambalpur University	File No. 1-2530 General Manager's Order dated 19-11-98 vide Dy. No. LCO/66 dated 19-11-98
			5 3/4% Loan 2003 (Mumbai Circle)		
BY-009336	15,000/-	Bank of Baroda	12-5-1984	Trustees Wander Ltd. Empl. Provident Fund	Case No. 20-04-1987 General Manager's Orders dated 2/1/1999 C.O. Diary No. 586 dated 04-1-1999
BY-009341	5,000/-	Do.	Do.	Do.	Do.
BY-015132	1,000/-	Do.	Do.	Do.	Do.
BY-015133	1,000/-	Do.	Do.	Do.	Do.
BY-015134	1,000/-	Do.	Do.	Do.	Do.
BY-015245	10,000/-	Do.	Do.	Do.	Do.

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the clamant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Gold Bond 1998 (Mumbai Circle)		
BY/RCA/001424	513 gms	Shri Bhagwati Prasad Siotia	09-06-1993 (payable on maturity)	Shri Bhagwati Prasad Siotia	Case No. 20-04-2091 General Manager's Orders dated 11th November 1998 CO Diary No. 435 dated 12-11-1998

1	2	3	4	5	6
BY/RCA/002322	523 gms.	Rahul Siotia (Minor)	Do.	Rahul Siotia (Minor)	Case No. 20-04-2091A General Manager's Orders dated 11th November 1, 1998 C.O. Diary No. 435 dated 12-11-98
		9% Relief Bonds, 1987 (New Delhi Circle)			
DH-004424	350000/-	Chunni Haksar & Vinit Haksar	Nil	Chunni Haksar & Vinit Haksar	PDO/DT/LN-2/98 dated 14-10-98
DH-004364	2,50,000/-	Do.	Do.	Do.	Do.
		Gold Bond 1998 (Mumbai Circle)			
BY/SLA/000151 to 000157	500 gms each	Shri Avinash Chander and Smt. Neelima Gupta	20-05-1993 (payable on maturity)	Shri Avinash Chander and Smt. Neelima Gupta	Case No. 20-04-2085 General Manager's Orders dated 06-10-1998 CO Diary No. 320-A of date.
BY/SLA/000158	985 gms.	Do.	Do.	Do.	Do.
		10% Relief Bonds, 1993 (Non-Cumulative) (Chennai Circle)			
MS-000070	25,000/-	C.N. Kamalakshi and K. Bhuventhirababu	4-6-93	K. Bhuventhirababu	G.M. Diary No. 14 dated 23-10-98
		9% Relief Bond 1993 (Non-Cumulative) (Chennai Circle)			
MS-000174	50,000/-	C.N. Kamalakshi and K. Bhuventhirababu	10-10-94	K. Bhuventhirababu	G.M. Diary No. 14 dated 23-10-98
MS-000191	45,000/-	Do.	27-10-94	Do.	Do.
		10% Relief Bond 1995 (Non-Cumulative) (Chennai Circle)			
MS-000319	30,000/-	Do.	25-07-96	Do.	Do.
MS-000293	40,000/-	Do.	20-06-96	Do.	Do.
		10% Relief Bonds, 1993 (Byculla Circle)			
BC-000873	5,00,000/-	Ena Fernandes Velloz (Deceased) Heather De'Sa	19-8-93	Heather De'Sa	06-25-25 2-11-98
		9% Relief Bonds, 1993			
BC-001300 to 001306	7,00,000/- (7×1,00,000)	Natwar Mulchand Parekh (deceased) Jayanti Natwar Parekh	8-11-94	Jayanti Natwar Parekh	06-25-22 11-11-98
		9% Relief Bonds 1993			
BC-001307 to 001321	15,00,000/- (15×1,00,000)	Jayanti Natwar Parekh Natwar Mulchand Parekh (deceased)	8-11-94	Jayanti Natwar Parekh	Do.

Smt. N. A AHALFY
P. Chief General Manager

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110066, the 21st January 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/PLI/36010.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/Extended.	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's File No.
1		2	3	4	5	6
1.	M/s. The Surat District Co. op. Spinning Mills Ltd, Varachha Road, Surat-395006.	GJ/4148	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I dated 6-4-93	30-6-94	1-7-94 to 30-6-97 1-7-97 to 30-6-2000	2/3864/91/DLI
2.	M/s. Gujrat State Fertilizer Co. Ltd, Fiber Unit, At & P.O. Kharach, Tal, Hansot, Dist Bharuch.	GJ/5238-B	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/440 dated 31-5-96	31-5-96	1-6-96 to 31-5-99	2/53261/93/DLI
3.	M/s. The Surat Dist. Co. Op. Bank Ltd, Regd. Office, J.D. Athwagate, Surat.	GJ/4672	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I dated 6-4-93	26-8-95	27-8-95 to 26-8-98	2/211/79/DLI
4.	M/s. Perfect Colourants & Plastics (P) Ltd, 85, GIDC, Industrial Estate, Vaghodia-391760.	GJ/20305	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/2561 dated 26-10-97	28-2-98	1-3-98 to 28-2-2001	2/14/95/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporations of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/Legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt or claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.II/36018.—Whereas the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in Scheduled-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/Extended.	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. A.C.C. Ltd, P.O. Okhla Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-20.	DL/127	2/1959/Exem/89/Pt. I dated 10-12-92	26-11-94	27-11-94 to 26-11-97 27-11-97 to 26-11-2000	2/658/80/DLI
2.	M/s. Raunag International Ltd, 13th Floor, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-19.	DL/2229	Do. dated 27-8-92	3-12-94	4-12-94 to 3-12-97 4-12-97 to 3-12-2000	3/6/97/DLI
3.	M/s. Chaudhary International (P) Ltd, 303, Ansal Bhawan, 16, K.G. Marg, New Delhi-110001.	DL/3551	2/1959/Exem/89/Pt. I/2505 dated 27-8-92	31-10-92	1-11-92 to 31-10-95 1-11-95 to 31-10-98	2/4277/92/DLI
4.	M/s. Hindustan Fertilizers Corp. Ltd, Madhuban, 55, Nehru Place New Delhi-19.	DL/4869	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 11-5-92	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96 1-3-96 to 28-2-99	2/727/82/DLI
5.	M/s. Jupiter Publicity Co. 108, Surya Kiran, K.G. Marg, New Delhi-110001.	DL/8614	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I/966 dated 18-11-89	30-9-90	1-10-90 to 30-9-93 1-10-93 to 30-9-96 1-10-96 to 30-9-99	2/3273/90/DLI
6.	M/s. Sriram Fertilizers & Chemicals, Kirti Mehal, 19 Rajinder Place, New Delhi-110008	DL/5819	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 18-10-92	7-1-95	8-1-95 to 7-1-98 8-1-98 to 7-1-2001	2/778/82/DLI
7.	M/s. Seva Enterprises, C-2/9, Community Centre, Ashok Vihar Phase-II, New Delhi-52.	DL/8616	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I/128 dated 14-5-98	30-9-96	1-10-96 to 30-9-99	3/19/97/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/36029.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said esablishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P.F.C. File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Trans Cables Ltd., Sheesh Mahal, Kathgddam, Nanital, UP-263126.	UP/6559	1-2-90 to 31-1-93 1-2-93 to 31-1-96 1-2-96 to 31-1-97	15(47)/DLI/UP
2.	M/s. The U. P. State Leather DeVelopment & Marketing Corporation Ltd., 16/7 Sadar Bhatti Crossing Agra-282003.	UP/5929	1-12-80 to 30-11-83 1-12-83 to 30-11-86 1-12-86 to 30-11-89 1-12-89 to 30-11-92 1-12-92 to 30-11-95 1-12-95 to 31-10-97	15(48)/DLI/UP
3.	M/s. Prakash Industries Ltd., 5 K. M. Stone, Moradabad Road, Kashipur Distt., Nainital, U.P.	UP/16082	1-1-94 to 31-12-96	15(49/DLI/UP

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to such of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefit admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/Legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

The 27th January 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/36258.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, A.P. feom the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. K. Mohandas and Brothers Patamata, Vijayawada-520006.	AP/6969	1-3-93 to 28-2-96 1-3-96 to 28-2-99	1/19/98/AP/EDLI
2.	M/s. Nizam Club Saifabad, Hyderabad-500004.	AP/1950	1-12-92 to 30-11-95 1-12-95 to 30-11-98	1/40/98/AP/EDLI
3.	M/s. Prakasha S. G. Iron Castings(P) Ltd., Prakash Nagar Enike Padu, Vijayawada-521108.	AP/30195	1-3-93 to 28-2-2001	1/41 /98/AP/EDLI
4.	M/s. Vijaya Krishna Super Bazar A Unit of UCC Stories Ltd.) Bandar Road, Vijayawada-2.	AP/2625	1-2-90 to 31-1-93 1-2-93 to 31-1-96 1-2-96 to 31-1-99	1/42/98/AP/EDLI
5.	M/s. Nagarjuna Investors Service Ltd Nagarjuna Hills Hyderabad-500082	AP/24167	1-5-93 to 30-4-96 1-5-96 to 30-4-99	1/15/98/AP
6.	M/s. Hiltan Tobaccos Pvt. Ltd. 1-1-1, Samrat Complex, Saibabad, Hyderabad-4.	AP/HY 18535	1-3-92 to 28-2-95 1-3-95 to 28-2-98 1-3-98 to 28-2-2001	1/43/98

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause(a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/36268.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Ram Sons Medicos, E-20, Foundry Nagar, Agra-282006.	UP/16244	1-1-92 to 31-12-94 1-1-95 to 31-12-97 1-1-98 to 31-12-2000	15/7/DLI/UP/98
2.	M/s. Automative Products Co., 73, Industrial Estates Nunhai, Agra-282006.	UP/4072	1-2-89 to 31-1-92 1-2-92 to 31-1-95 1-2-95 to 31-1-98	15/9/DLI/UP/96

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employee under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the examination shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI,
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/36274.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	CPFC's File No.
1.	M/s. Prem Motors, Agra-Mathura By Pass Road, Agra-282005.	UP/16560	1-8-94 to 31-7-97, 1-8-97 to 31-7-2000	15(12)/DLI/98
2.	M/s. Devyani Foods Ltd., 12th K. M. Distance Stone, Agra Delhi Highway, Agra (UP).	UP/17727	1-3-95 to 28-2-98	15(11)/DLI/98

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the noimnee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/36280.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period for Exemption	CPFC file No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s. Indian Naval Canteen Service, Naval Nagar, Colaba, Bombay-5 (alongwith its branches covered under the same Code No.)	MH/11896	2/1959/DLI/Exemp/ 89/Part-I dated 2-4-93	31-5-95	1-6-95 to 31-5-98	2/3999/92/DLI
2.	M/s. Mahindra and Mahindra Ltd., Implements Division, MIDC Area, Hingna Road, Nagpur-400016.	MH/13804	Do. dated 5-2-98	10-10-97	11-10-97 to 10-10-2000	9/18/DLI/97
3.	M/s. Makars Developments Services Ltd., Makers Towers, Ist Floor, Cuffe Badge, Bombay-5.	MH/24576	Do. dated 22-3-93	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/3641/91/DLI
4.	M/s. The Associated Cement Companies Ltd., Cement House, 121, M.K. Road, Churchgate, Bombay-20.	MH/4095	2/1959/DLI/ Exemp/89/Part-I dated 3-9-92	24-11-94	25-11-94 to 24-11-97 25-11-97 to 24-11-2000	2/658/82/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the sailent features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to be lapsed, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/36288.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-1

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended.	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C. File No.
1.	M/s. The Gujarat Tea Depot Co. Ltd., Kirana Estate, Near Pragati High School, Khokhera, Mahemdabad, Ahmedabad-380008.	GJ/2305	2/1959/DLI/Exem./ 89/Pt. I dated 24-2-92	31-12-93	1-1-94 to 31-12-96 1-1-97 to 31-12-99	2/397/92/DLI
2.	M/s. Cadila Chemicals Ltd., 291, GIDC, Estate Ankleshwar-393002.	GJ/3993	2/1959/DLI/Exem./ 89/Pt. I dated 18-1-94	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/708/82/DLI
3.	M/s. N.I.F. Mechanical Works, P.B. No. 69, Chhapra Road, Navsari-39445.	GJ/6122	2/1959/DLI/Exm./ 89/Pt. dated 27-1-94	30-11-95	1-12-95 to 30-11-98	2/4507/92/DLI
4.	M/s. Gnyar Dham School, GIDC Vapi, 396195 Dist. Valsad, Gujarat.	GJ/12957	2/1959/DLI/Exm./ 89/Pt- I dated 17-10-92	31-12-94	1-1-95 to 31-12-97 1-1-98 to 31-12-2000	2/2358/82/DLI
5.	M/s. Gujarat Pre Pack Ltd., 10th Floor, Naptune Tower, Productivity Road, Baroda	GJ/16077	2/1959/DLI/Exm./ 89/Pt. I dated 1-6-93	31-12-95	1-1-96 to 31-12-98	2/4027/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporaton of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/36297.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment.	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C. File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s Raipur MFG Co Ltd. Out Side Naraspur Gate, Ahmedabad-380018.	GJ/294	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I/3008 dated 17-10-92	31-5-94	1-6-94 to 31-5-97 1-6-97 to 31-5-2000	2/4085/92
2.	M/ Tata S.S.L. Limited, Station Road, Navsari-396145	GJ/6131	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I/2112 dated 2-7-92	31-12-91	1-1-992 to 31-12-94 1-1-95 to 31-12-97 1-1-98 to 31-12-2000	2/EDLI/Misc/97
3.	M/s. Gujrat Rural Housing Finance Corporation Ltd., Ambica House, Behind C.U. Shah College, Ashram Road, Ahmedabad-380014.	GJ/10614	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/7162 dated 20-5-93	31-1-94	1-2-94 to 31-1-97 1-2-97 to 31-1-2000	2/4824/93

1	2	3	4	5	6	7
4.	M/s. Anandalaya (Anandalaya Education Society Regd.) N.D.D.B. Campus, Anand-388001 (Gujarat)	GJ/13901	2/1959/DLI/Exem/ 89/Pt. I/2585 dated 31-8-92	31-7-94	1-8-94 to 31-7-97 1-8-97 to 31-7-2000	2/4210/92/DLI
5.	M/s. Kalpataru Power Transmission Ltd., 101/Part-II/GIDC/Estate Sector-28, Gandhinagar-382028.	GJ/15884	2/1959/DLI/Exem/ 89/Pt. I dated 15-4-93	31-5-95	1-6-95 to 31-5-98	2/4794/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (A) of ~~sub-Section (2A)~~ of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance primia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Schemes approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amaunt payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

SALAR JUNG MUSEUM BOARD

AMENDMENT PROPOSED TO REGULATION 13 OF SALAR JUNG MUSEUM REGULATIONS, 1962.

Retirement 13. The age of retirement of the employees of the Board shall be 60 years.

DR. C. RANGARAJAN, Chairman

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 31st December 1998

CORRIGENDUM

F No. 17-1/98-PCI/12447-678—In the notification of resolutions passed in the 64th meeting of the Pharmacy Council of India and published in the Gazette of India No. 45, Part-III, Section 4, dated 7-11-98 on page Nos. 3844 to 3856 the following corrigendum is issued :

1. On page No. 3844, Resolution No.64/PCI/1104 in the third column of Nalanda College of Pharmacy, Marriguda, Nalgonda

For	Read
From 1977-78 to 1998-99	From 1997-98 to 1998-99

2. On page No. 3845, Resolution No. 64/PCI/1107 in first column

For	Read
NET's Q.E.T. Pharmacy College.	NET's N.E.T. Pharmacy College.

3. On page No. 3851

For	Read
Resolution No. 64/FCI/1129	Resolution No. 64/PCI/1129

4. On page No. 3854, Resolution No. 64/PCI/1/147 in fourth line

For	Read
the Diploma Course in pharmacy conducted by Chairman	the diploma course in pharmacy conducted by Christian

ARCHNA MUDGAL, Asstt. Secretary.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1999